राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10544/2007

श्रीमती रागिनी शर्मा पत्नी श्री बृज किशोर शर्मा, निवासी 566, महावीर नगर, कोटा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. उप सचिव (जीआर II), खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. अधीक्षण खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटा वृत्त, कोटा।
4. खनन अभियंता, प्रभाग-II, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बूंदी।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री. केदार सोलंकी
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री. राहुल लोढ़ा, एजीसी

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश

17/10/2024

1. यह याचिका दिनांक 12.01.2007 और 13.11.2007 के आदेशों से व्यथित होकर दायर की गई है, जिनमें क्रमश खनन पट्टे की मंजूरी को रद्द कर दिया गया था और संशोधन को समय समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि 10.07.2000 को याचिकाकर्ता ने खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। पट्टा 31.07.2006 को स्वीकृत हुआ। 07.08.2006 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया था कि वह पत्र प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ले। आवश्यक कार्यवाही न करने पर, 12.01.2007 के आदेश द्वारा स्वीकृति रद्द कर दी गई। याचिकाकर्ता ने 01.05.2007 को राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 47 के अंतर्गत विलंब क्षमा हेतु आवेदन के साथ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। आवेदन 13.11.2007 को खारिज कर दिया गया।

(29/05/2025 को 02:53:42 बजे डाउनलोड किया गया)

3. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि खराब स्वास्थ्य के कारण याचिकाकर्ता दिनांक 07.08.2006 के संचार द्वारा निर्देशित औपचारिकताओं का पालन नहीं कर सका।

4. तर्क यह है कि पुनरीक्षण दाखिल करने में मामूली देरी हुई थी। समय सीमा आदेश की सूचना की तिथि से शुरू होगी। इसके अलावा, यदि समय सीमा आदेश की तिथि से भी गिनी जाए, तो भी देरी एक सप्ताह की होगी और याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण दाखिल करने में देरी का उचित कारण बताने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड दाखिल किया था।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव करते हुए कहा कि पुनरीक्षण याचिका तीन महीने की अवधि के बाद दायर की गई थी।

6. पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचिका खारिज करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पुनरीक्षण दायर करने की समय सीमा आदेश की सूचना की तिथि से शुरू होगी। वैसे भी, इसमें थोड़ी देरी हुई थी और इस छोटी अवधि की देरी को माफ करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

7. दिनांक 13.11.2007 का आदेश निरस्त किया जाता है। पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है और पुनरीक्षण प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह पुनरीक्षण याचिका पर विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले।

8. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

मोनिका/46

क्या रिपोर्ट योग्य है हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

(29/05/2025 को 02:53:42 बजे डाउनलोड किया गया)

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को 02:53:42 बजे डाउनलोड किया गया)